International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण योजना का कोंडागांव जिले के ग्रामीण विकास पर प्रभाव एवं महत्व

श्री - शैनू राम सोरी

शोधार्थी (अर्थशास्त्र विभाग)
शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव (छ०ग०)

सारांश
यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले के संदर्भ में विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण योजना (VB-G RAM G) के प्रभाव और महत्व का विश्लेषण करता है। वर्ष 2025 में अधिनियमित यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेती है और 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करती है। कोंडागांव जिला, जो एक आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ग्रामीण विकास के विशिष्ट चुनौतियों का सामना करता है। यह अध्ययन योजना के चार प्रमुख स्तंभों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आपदा सहनशीलता एवं आजीविका संवर्धन—के जिले में कार्यान्वयन की संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, पेपर केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात (60:40) में परिवर्तन, भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान, एवं फसल सीजन में 60 दिनों तक योजना स्थगित करने के प्रावधान जैसे नवाचारों की विस्तृत चर्चा करता है। निष्कर्ष में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिले की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द: VB-G RAM G योजना, कोंडागांव , ग्रामीण विकास,मनरेगा,आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़

1.परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन ग्रामीण क्षेत्रों का सतत एवं समावेशी विकास राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने वर्षों में अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें 1960-61 का ग्रामीण श्रम कार्यक्रम (रूरल मैनपावर प्रोग्राम) से लेकर 2005 में अधिनियमित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तक शामिल हैं। मनरेगा ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान कर ग्रामीण भारत में एक नया प्रतिमान स्थापित किया था। हालाँकि, लगभग दो दशकों के कार्यान्वयन के बाद, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और जमीनी स्तर पर प्राप्त अनुभवों ने एक अधिक प्रभावी, विकास-उन्मुख योजना की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण अधिनियम, 2025 पारित किया गया। यह योजना केवल एक नाम परिवर्तन मात्र नहीं है, अपितु एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह "विकसित भारत 2047" के राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प रखती है।

1.2 VB-G RAM G एवं मनरेगा की प्रमुख विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण

VB-G RAM G योजना की मुख्य विशेषताओं को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रभाव का विश्लेषण इन्हीं आयामों पर आधारित होगा।

मनरेगा एवं VB-G RAM G की प्रमुख विशेषताएं -

- **रोजगार गारंटी**- मनरेगा में 100 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित था वही नई योजना में 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है |
- कार्य की प्रकृति- मनरेगा अकुशल मैनुअल श्रम प्रधान योजना था नई योजना स्थायी ग्रामीण संपत्ति निर्माण से जुड़ा हुआ है
- **केंद्र-राज्य वित्तपोषण**- मनरेगा 100:0 अनुपात राशि जो की पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था,वही नईयोजना में राशि का अनुपात 60:40 सामान्य राज्य और 90:10 पर्वतीय राज्य में वितरण किया जायेगा |

- **भुगतान समय सीमा**- मनरेगा में भुगतान अक्सर विलंबित होता था इसमे कोई कानूनी दंड का प्रावधान नहीं था वही नवीन योजना में भुगतान समय 7 दिनों के भीतर और देरी पर ब्याज सहित मुआवजा का प्रावधान है |
- **कृषि समायोजन**-मनरेगा में कृषि समायोजन हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं थी लेकिन नवीन योजना में बुआई/कटाई के मौसम में 60 दिन तक योजना स्थगित करने का विकल्प दिया गया है |
- **योजना स्तर**- मनरेगा प्रशासनिक स्तर की योजना थी लेकिन वी बी जी राम जी योजना | ग्राम सभा स्तर की योजना है और पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई योजना है|
- **प्रौद्योगिकी उपयोग**- मनरेगा में प्रोद्योगिकी की सीमित उपयोग होता था लेकिन नवीन योजना में बायोमीट्रिक उपस्थिति व् डिजिटल बहु-स्तरीय निगरानी की व्यवस्था है|

.3 कोंडागांव जिले का चयन की प्रासंगिकता एवं औचित्य

कोंडागांव जिला, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से एक है, 2012 में बस्तर जिले से अलग होकर बना था। यह जिला कई दृष्टियों से VB-G. RAM G योजना के प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक आदर्श केस स्टडी प्रस्तुत करता है-

- **उच्च आदिवासी जनसंख्या**- कोंडागांव की अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास के मुख्यधारा से वंचित रहा है। कोई भी ग्रामीण विकास योजना इन समुदायों के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है।
- **नक्सल प्रभावित क्षेत्र**- कोंडागांव, बस्तर संभाग का एक अभिन्न अंग होने के नाते, लंबे समय से नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, बिजली, पानी और संचार की कमी, एक गंभीर चुनौती है। रोजगार सृजन एवं विकास यहाँ विद्रोह के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार माने जाते हैं।
- **कृषि एवं वन निर्भरता**- जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वनोपज पर निर्भर है। यहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, जिससे यहाँ की कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। ऐसे में, गैर-कृषि काल के दौरान रोजगार की गारंटी यहाँ के लोगों के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है।
- **प्रवासन की समस्या**- रोजगार के अवसरों की कमी के कारण यहाँ के युवा और सक्षम व्यक्ति रोजी-रोटी के लिए रायपुर, भिलाई, या फिर महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। एक स्थानीय रोजगार योजना इस प्रवासन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

1.4 अनुसंधान उद्देश्य

इस शोध पत्र के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. VB-G RAM G योजना के प्रावधानों एवं मनरेगा से इसके अंतरों का विस्तृत दस्तावेजीकरण करना।
2. कोंडागांव जिले के संदर्भ में योजना के चार स्तंभों (जल, बुनियादी ढांचा, आजीविका, आपदा) के कार्यान्वयन की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।
3. योजना के नए वित्तपोषण मॉडल (60:40) का जिले के बजट पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. योजना के सफल क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना एवं उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5 अनुसंधान पद्धति

यह शोध पत्र प्राथमिक रूप से एक गुणात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया है:

- **द्वितीयक स्रोत**- इस शोध में अनेक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है जैसे - योजना पर सरकारी बयान, संसदीय चर्चाएं, समाचार रिपोर्ट (ANI, द हिंदू, इंडिया टुडे), विभिन्न राज्यों (विशेषकर छत्तीसगढ़) में हुए कार्यशालाओं के विवरण शामिल हैं ।
- **सांख्यिकीय डेटा:** सांख्यिकीय डेटा के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, कोंडागांव जिला मानव विकास रिपोर्ट, एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े को सम्मिलित किया गया है ।
- **केस स्टडीज़:** मनरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित अकादमिक पेपर और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में सफल मॉडलों का अध्ययन किया गया है।

2. VB-G RAM G योजना के प्रावधान,उनका दर्शन एवं विवाद

2.1 वी बी जी राम जी योजना का दर्शन: "विकसित भारत" की नींव

VB-G RAM G योजना महज एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि एक समग्र विकास मिशन है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। **भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा** के अनुसार, यह योजना ग्रामीण भारत को पुनर्जीवित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

चार प्रमुख स्तंभ-

योजना चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है-

1. जल सुरक्षा- जल संरक्षण, तालाब निर्माण, जलाशयों का जीर्णोद्धार, एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है ।

2. ग्रामीण अवसंरचना- ग्राम पंचायत भवन, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव शामिल है ।

3.आपदा सहनशीलता- बाढ़, सूखा, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना है ।

4. आजीविका संवर्धन- पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास एवं संपत्ति निर्माण का निर्माण शामिल है ।

2.2 महत्वपूर्ण प्रशासनिक नवाचार

VB-G RAM G में कई प्रशासनिक नवाचार शामिल हैं जो पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं-

- **ग्राम सभा की भूमिका**- अब कार्य योजनाएं ऊपर से थोपी नहीं जाएंगी, बल्कि ग्राम सभा के स्तर पर बनाई जाएंगी। यह विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण**- बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली से नकली जॉब कार्ड और उपस्थिति पर अंकुश लगेगा। डिजिटल मॉनिटरिंग से भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद है।
- **भुगतान सुरक्षा**- योजना के तहत मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। यदि भुगतान में देरी होती है, तो मजदूर ब्याज सहित मुआवजे के हकदार होंगे। यह प्रावधान श्रमिकों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2.3 विवाद एवं आलोचनाएँ

किसी भी बड़े सुधार की तरह, VB-G RAM G भी विवादों से घिरा रहा है। इन विवादों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कार्यान्वयन में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों को दर्शाते हैं।

VB-G RAM G योजना पर प्रमुख आलोचनाएँ एवं सरकार का पक्ष

आलोचना के प्रमुख बिंदु जो इस प्रकार से है -

- **नाम परिवर्तन**- गांधी जी का नाम हटाकर इतिहास मिटाने की कोशिश, इसे 'व्यक्तिगत विद्वेष' बताया "गांधी जी ने खुद कांग्रेस को खत्म करने की सलाह दी थी" नाम से विकास की भावना जुड़ी है।
- **वित्तपोषण (60:40)**- राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ, संघीय ढांचे का उल्लंघन पहले राज्य 'फ्री फंड' की तरह देखते थे, अब हिस्सेदारी से जिम्मेदारी बढ़ेगी।
- **फसल सीजन में स्थगन**- किसानों को मजदूर नहीं मिलेंगे, यह ग्रामीण रोजगार के खिलाफ है कृषि को प्राथमिकता, मजदूर पहले खेतों में काम करें, फिर योजना में।
- **पर्याप्तता**- पहले की योजना में 120 दिन की व्यवस्था होने से काम के दिन पर्याप्त नहीं थे इसलिए इस योजना में 125 दिन की कार्य दिवस तय की गई हैं जो की पर्याप्त है, वही में कर्नाटक राज्य में 60 दिन कृषि + 125 दिन योजना = 185 दिन रोजगार की प्रावधान की गई है |

कर्नाटक सरकार ने तो इस योजना के खिलाफ एक विज्ञापन अभियान भी चलाया, जिसमें इसे ग्रामीण रोजगार के लिए 'मौत की घंटी' बताया गया। छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मनरेगा में पिछली सरकार की विफलताओं (औसतन केवल 52 दिन रोजगार) की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब 'अतीत को भूलकर नई शुरुआत' करनी चाहिए।

3. कोंडागांव जिला का एक परिचय एवं चुनौतियाँ

3.1 भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

कोंडागांव जिला 22°16' से 22°50' उत्तरी अक्षांश और 80°50' से 81°28' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 8,598 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक रूप से, यह जिला 7 तहसीलों (कोंडागांव, केशकाल, माकड़ी,फरसगांव,बड़ेराजपुर मर्दापाल,धनोरा) में विभाजित है।

जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुमान के अनुसार कोंडागांव जिले का कुल जनसंख्या 578326 है ,जिसमे अनुसूचित जनजाति 70% है जिसमे गोंड, माड़िया, हल्बा, धुर्वा जनजाति प्रमुख हैं जिले की कुल साक्षरता दर लगभग 64% है जो कि राष्ट्रीय औसत 74% से काफी कम हैं | जिले की लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 1033 महिलाएं है जो राज्य औसत से बेहतर है |

3.2 आर्थिक संरचना एवं रोजगार की स्थिति

जिले की अर्थव्यवस्था तीन स्तंभों पर टिकी है-

- **कृषि** – जिले में लगभग 75% आबादी की आजीविका का मुख्य साधन है । यहाँ धान मुख्य फसल है, लेकिन सिंचाई के साधनों की अत्यधिक कमी के कारण अधिकांश कृषि असिंचित है।
- **वनोपज** - यह जिला घने जंगलों से घिरा हुआ है। लाख, चिरौंजी, तेंदूपत्ता, महुआ, हरीताली (हरड़) आदि का संग्रहण एवं विक्रय आदिवासी परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोंडागांव में लाख का उत्पादन विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
- **मजदूरी** – जिले में भूमिहीन परिवारों के लिए मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। मनरेगा के तहत पिछले वर्षों में यहाँ प्रति परिवार औसतन 40-50 दिन ही रोजगार उपलब्ध हो पाया था, जो कानूनी गारंटी (100 दिन) से कम था।

3.3 मूलभूत सुविधाओं की स्थिति

VB-G RAM G योजना की सफलता को मापने के लिए, बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति को समझना आवश्यक है-

- **सड़कें**- कई दूरस्थ गाँव (विशेषकर माकड़ी और केशकाल ब्लॉक) अभी भी पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं। वर्षा ऋतु में ये क्षेत्र राज्य के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं।
- **जल**- गर्मियों में कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गंभीर हो जाता है। सिंचाई के लिए नलकूपों की भारी कमी है।
- **बिजली**- हालाँकि 'सबका साथ सबका विकास' के तहत बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन वोल्टेज की समस्या और बार-बार आउटेज कृषि और सिंचाई के लिए बाधक है।
- **शिक्षा/स्वास्थ्य**- उच्च प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है। कई स्थानों पर भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है।

3.4 कोंडागांव जिले के विभिन्न ब्लॉकों की विकासात्मक चुनौतियाँ

प्राथमिक चुनौती के रूप में VB-G RAM G के माध्यम से संभावित हस्तक्षेप-

- **कोंडागांव**- यहाँ विकासखंड शहरी-ग्रामीण दोनों प्रकार के परिवेश से युक्त है जिसके कारण युवाओं में बेरोजगारी और कौशल विकास केंद्र, छोटे उद्योगों के लिए शेड, सड़क किनारे पार्किंग स्थल की समस्या से जूझ रही है |
- **फरसगांव**- इस विकासखंड की प्रमुख समस्या जल संकट (सूखा प्रवण),पशुपालन का अविकसित बुनियादी ढांचा और तालाब गहरीकरण, चेक डैम, पशु आश्रय स्थल (गोठान), चारागाह विकास आदि शामिल है|
- **केशकाल**- यहाँ तहसील अत्यधिक दूरस्थता,नक्सल प्रभाव,सड़कों का अभाव, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन (सुरक्षा बलों एवं ग्रामीणों के लिए), डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए टावर आदि से जूझ रहा हैं |
- **माकड़ी**- यह जिले से तटस्थ है लेकिन वनोपज संग्रहण में कठिनाई,शिकारी-दीमक (खाद्य संकट) वनोपज भंडारण गोदाम का अभाव, लघु सिंचाई नलकूप, मुर्गी पालन इकाइयाँ के निर्माण की समस्या से ग्रस्त है |

4. VB-G RAM G योजना का कोंडागांव जिले पर संभावित प्रभाव

4.1 जल सुरक्षा पर प्रभाव

कोंडागांव में कृषि की सबसे बड़ी बाधा सिंचाई का अभाव है। VB-G RAM G के तहत 'जल सुरक्षा' पर जोर इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है।

योजना के तहत किए जाने वाले कार्य-

- **तालाबों का जीर्णोद्धार**- जिले में सैकड़ों पारंपरिक तालाब हैं जो गाद से भर गए हैं। इनकी सफाई एवं गहरीकरण से भू-जल स्तर बढ़ेगा।

- **चेक डैम निर्माण**- छोटी नदियों और नालों पर चेक डैम बनाकर पानी को रोका जा सकता है, जिससे गर्मियों में भी नमी बनी रहेगी।
- **कूप निर्माण**- व्यक्तिगत स्तर पर कूप (बोरवेल) खोदने के बजाय सामुदायिक कुओं पर जोर दिया जाएगा, जिससे भू-जल का अत्यधिक दोहन रुकेगा।

इसका प्रभाव - सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि से किसान रबी की फसल (जैसे मटर, चना, अलसी) ले सकेंगे, जिससे उनकी वार्षिक आय दोगुनी हो सकती है। इससे किसानों की ग्रामीण कर्ज पर निर्भरता भी कम होगी।

4.2 ग्रामीण अवसंरचना पर प्रभाव

कोंडागांव के स्कूल, आंगनबाड़ी, और पंचायत भवन अक्सर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होते हैं। VB-G RAM G 'ग्रामीण अवसंरचना' के अंतर्गत इनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

- **शैक्षणिक ढांचा**- नए कक्षा कक्ष और शौचालय निर्माण से नामांकन दर में वृद्धि होगी, विशेषकर बालिकाओं की उपस्थिति में वृध्दि होगी
- **ग्रामीण सड़कें**- पीएम गति शक्ति योजना से जुड़ने पर, कोंडागांव के दूरस्थ गाँव बाजारों और अस्पतालों से जुड़ जाएंगे। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि कृषि उपज का सही मूल्य मिल सकेगा।
- **गोदाम निर्माण**- वनोपज (जैसे लाख) के भंडारण के लिए सामुदायिक गोदाम बनाने से ग्रामीण बिचौलियों के चंगुल से बच सकेंगे |

4.3 आजीविका एवं रोजगार पर प्रभाव

यह योजना का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव है। 125 दिनों की गारंटी और समय पर भुगतान कोंडागांव के मजदूरों के जीवन में स्थिरता लाएगा।

- **प्रवासन पर अंकुश**- अध्ययन बताते हैं कि मनरेगा ने कुछ हद तक प्रवासन रोका था। उच्च संख्या (125 दिन) और बेहतर संपत्ति निर्माण से यह प्रभाव और मजबूत होगा। यदि गाँव में ही काम और मजदूरी मिलेगी, तो युवा सूरत या पुणे जाने के बजाय अपने घर में निवेश करेंगे।
- **कौशल विकास**- यह योजना केवल फावड़ा-गैंती नहीं, बल्कि बढ़ईगीरी, राजमिस्त्री, प्लंबिंग, और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कौशल विकास से जुड़ी है। कोंडागांव के युवा इससे सीखकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- **महिला सशक्तिकरण**- पारंपरिक समाज में महिलाओं के पास कमाने के सीमित अवसर होते हैं। यह योजना, विशेषकर पशुपालन (बकरी/मुर्गी पालन) घटक के माध्यम से, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आय के साधन प्रदान करेगी।

4.4 आपदा सहनशीलता पर प्रभाव

कोंडागांव हर साल बाढ़ या सूखे दोनों में से किसी न किसी का सामना करता है। 'आपदा सहनशीलता' एक नया आयाम है जो पिछली योजनाओं में कमजोर था।

- **बाढ़ नियंत्रण**- नालों के कटान को रोकने के लिए पक्की नालियाँ (पक्का नाला) बनाना।
- **आश्रय स्थल**- प्राकृतिक आपदा के समय पशुओं और लोगों के लिए ऊंचे स्थानों पर पक्के भवनों का निर्माण किया जा सकता हैं।
- **सूखा राहत**- सूखे के समय टैंकर से पानी भरने के बजाय स्थायी जलाशयों का निर्माण करने से सुखा से राहत मिल पायेगा

5. कोंडागांव जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और समाधान

VB-G RAM G की संभावनाएं असीम हैं, परंतु कोंडागांव जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु कई चुनौतियों का सामना करना होगा।

5.1 प्रमुख चुनौतिया

- **सूचना एवं जागरूकता की कमी**- अत्यधिक निरक्षरता और संचार साधनों की कमी के कारण, आदिवासी समुदायों तक योजना की विस्तृत जानकारी (जैसे 125 दिन, 7 दिनों में भुगतान, 60 दिन स्थगन का विकल्प) नहीं पहुंच पाती है।

- **प्रशासनिक तैयारी**- जिला प्रशासन के पास पहले से ही बीएलओ, पटवारी, और ग्राम रोजगार सेवक (जीआरएस) की भारी कमी है। नई बायोमीट्रिक प्रणाली के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना और हार्डवेयर (जैसे स्मार्टफोन/टैबलेट) उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी।
- **भौगोलिक दुर्गमता**- केशकाल और माकड़ी के जंगलों में नेटवर्क कनेक्टिविटी शून्य है। डिजिटल मॉनिटरिंग तभी संभव है जब वहाँ इंटरनेट पहुंचे। साथ ही, नक्सल हिंसा के कारण सरकारी कर्मचारी अक्सर इन क्षेत्रों में जाने से हिचकिचाते हैं।
- **वित्तीय बाधा (60:40 फॉर्मूला)**- छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पहले से ही तनावपूर्ण है। 40% हिस्सेदारी (लगभग हजारों करोड़) निकालना जिले के लिए मुश्किल हो सकता है। यदि राज्य सरकार अपना हिस्सा समय पर नहीं डालेगी, तो योजना ठप हो जाएगी।

5.2 समाधान एवं सुझाव

- **सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना**- प्रशासन को 'ग्राम सभा' को केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाला निकाय बनाना होगा। योजना बनाते समय ग्रामीणों की प्राथमिकताओं जैसे - उन्हें पक्की सड़क चाहिए या पानी की टंकी आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण**- कोंडागांव के ग्रामीण युवाओं को 'सखा' या 'टेक्निकल असिस्टेंट' के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। ये स्थानीय युवा बायोमीट्रिक मशीन चलाना, ऑनलाइन एंट्री करना, और मजदूरों को जानकारी देने में मदद करेंगे। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
- **हाइब्रिड मॉडल अपनाना**- जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ ऑफलाइन बायोमीट्रिक डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, जो बाद में कनेक्ट होने पर डेटा अपलोड कर दे। मासिक रूप से हस्ताक्षरित मस्टर रोल को जिला मुख्यालय लाना भी एक विकल्प हो सकता है, जब तक डिजिटल ढांचा तैयार न हो।
- **राज्य बजट में प्राथमिकता**- छत्तीसगढ़ सरकार को अपने वार्षिक बजट में इस योजना के लिए एक अलग कोष बनाना चाहिए। केंद्र से आने वाले धन का मिलान करने के लिए समय पर धनराशि जारी की जानी चाहिए।

6. शोध निष्कर्ष एवं सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

विकसित भारत गारंटी (रोजगार एवं आजीविका मिशन) ग्रामीण योजना (VB-G RAM G) केवल मनरेगा का उत्तराधिकारी नहीं है, यह एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी योजना है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक सुधार पर केंद्रित है। यदि इस योजना को सही मायने में लागू किया जाए, तो यह कोंडागांव जैसे जिलों को 'विकास के अभिशाप' से उबारने में सहायक हो सकती है। कोंडागांव के संदर्भ में, यह योजना चार मोर्चों पर मुख्य भूमिका निभा सकती है-

- **पलायन रोकना**- 125 दिन का स्थानीय रोजगार युवाओं को शहरों की ओर पलायन करने से रोकेगा।
- **जल समाधान**- जल सुरक्षा के तहत बनाए गए चेक डैम और तालाब कोंडागांव को सूखा मुक्त कर सकते हैं।
- **बुनियादी ढांचा**- दूरस्थ गाँवों तक सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचेंगे, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा।
- **प्रौद्योगिकी**- बायोमीट्रिक और ऑनलाइन भुगतान से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, जो कोंडागांव जिले की एक पुरानी समस्या रही है।

हालाँकि, 60:40 का वित्तपोषण मॉडल और प्रशासनिक चुनौतियाँ इसके सामने बड़ी बाधाएँ हैं। केंद्र और राज्य सरकार को इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय, साझा दृष्टिकोण से काम करना होगा। अतीत को भूलना तभी संभव है जब वर्तमान में ठोस कदम उठाए जाएँ।

6.2 सिफारिशें

शोध अध्ययन के आधार पर, कोंडागांव जिले में VB-G RAM G योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत हैं-

- **जनजातीय उप-योजना के साथ एकीकरण**- जिले में उपलब्ध TSP कोष को VB-G RAM G के साथ समन्वित किया जाए। इससे संसाधनों का दोहराव रुकेगा और अधिक कार्य किए जा सकेंगे।
- **मोबाइल मास्टर रोल अभियान**- चूंकि जिले में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं, इसलिए ग्राम स्तर पर मोबाइल मास्टर रोल चलाया जाए। जहाँ हर गाँव में एक सरकारी टैबलेट हो, और हर रोजाना मजदूरों को एसएमएस द्वारा उनकी उपस्थिति और देय मजदूरी की जानकारी भेजी जाए।
- **कृषि-वानिकी मॉडल को बढ़ावा**- खाली बंजर भूमि पर आम, जामुन, या बांस के पौधे लगाने के लिए योजना के तहत मजदूरी प्रदान की जाए। यह वनोपज पर निर्भरता को स्थायी आय में बदल देगा।

- **वित्तीय साक्षरता शिविर**- भुगतान में देरी पर ब्याज मिलने का प्रावधान तभी प्रभावी होगा जब मजदूरों को इसकी जानकारी हो। बैंक मित्रों के माध्यम से गाँव-गाँव शिविर लगाए जाएं।
- **मानीटरिंग कमेटी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व**- ग्राम स्तरीय निगरानी समिति में कम से कम 50% महिलाएं हों। महिलाएं अक्सर घरेलू हिंसा और भुगतान में धांधली के प्रति अधिक जागरूक होती हैं।अंत में,VB-G RAM G योजना कोंडागांव के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। यह एक सामाजिक सुरक्षा कवच से बढ़कर, एक आर्थिक विकास इंजन बन सकती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकारी तंत्र इसे 'टॉप-डाउन' नीति के बजाय 'बॉटम-अप' (ग्राम सभा-आधारित) दृष्टिकोण से लागू करती है या नहीं।

7. संदर्भ सूची

1. दक्कन हेराल्ड (2026, 28 जनवरी): वीबी-जी राम (जी) बनाम मनरेगा: कर्नाटक विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट, कांग्रेस सरकार ने गांधी वाले विज्ञापन का बचाव किया।
2. एएनआई न्यूज़ (2026, 15 जनवरी): वीबी-जी राम जी से हिमाचल के गाँवों में आएगी नई जान, 125 दिन का रोज़गार बदलेगा ग्रामीण परिदृश्य: भाजपा की रेखा वर्मा।
3. लोकमत (2026): वीबीजी रामजी योजना: खत्म होगी खेतिहर मजदूरों की कमी? 'व्हीबीजी रामजी' से खेती को मिलेंगे मजदूर।
4. प्रतिदिन टाइम (2026, 11 जनवरी): छत्तीसगढ़ में भाजपा ने वीबी-जी राम जी योजना पर शुरू की जनजागरूकता अभियान।
5. द टेलीग्राफ इंडिया (2026, 10 जनवरी): गांधी का नाम हटे तो बीजेपी की मंजूरी: मनरेगा में बदलाव पर शिवकुमार का प्रहार।
6. डेक्कन क्रॉनिकल (2026, 13 जनवरी): बंदी संजय ने नई वीबी-जी राम जी रोजगार योजना का समर्थन किया।
7. एचआईटीवी तेलुगु (2026, 27 फरवरी): 1 अप्रैल से लागू होगा 'वीबीजी राम जी' नया कानून।
8. ईटीवी भारत (2026, 6 जनवरी): आइए भूले बीते को: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी देने में विफलता पर राज्य की।
9. लोकमत टाइम्स (2026, 14 जनवरी): कर्नाटक भाजपा ने वीबी-जी राम-जी के बजाय ड्रग माफिया पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग की।
10. इंडिया टुडे (2025, 17 दिसंबर): वीबी-जी राम जी बिल पर विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना, रोजगार योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का लगाया आरोप।